

विश्वभारती
शांतिनिकेतन

अधिसूचना

दिनांक 23.07.2020 के मेमो सं. आरईजी/अधि./156/97 के क्रम में कहना है कि कोविद-19 से बचाव हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीरभूम द्वारा जारी की गई सूचना का अनुपालन विश्वभारती में किया जाएगा।

आवश्यक/आपातकालीन सेवाएँ पूर्ववत् जारी रहेंगी।

मेमो सं. आरईजी/अधि./156/98
दिनांक : 26.07.2020

हस्ता./-
प्रो. आशा मुखर्जी
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. सभी भवन/विभाग के निदेशक/प्रिंसिपल
2. सभी विभाग/केंद्र/अनुभाग/कार्यालय के प्रधान
3. वित्त अधिकारी
4. कुलानुशासक
5. सुरक्षा प्रभारी, प्रोफेसर
6. सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/आईएओ/सहा. कुलसचिव
7. सी.एम.ओ./यू.ई.
8. उप कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
9. हिंदी अधिकारी- अनुरोध है कि हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
10. कुलसचिव के निजी सहायक
11. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. फाइल